भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 440
जिसका उत्तर शुक्रवार, 3 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई के लिए दिशानिर्देश

+440. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :

श्री सुधीर गुप्ता :

श्री बिद्युत बरन महतो :

श्री राजा अमरेश्वर नाईक :

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :

श्री विनोद कुमार सोनकर :

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :

श्री प्रतापराव जाधव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई के लिए कोई प्रचालनात्मक दिशानिर्देश या मानक तैयार किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) देश के विभिन्न न्यायालयों में डिजिटल/वर्चुअल माध्यम से निपटाए गए मामलों की राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार ने मामलों की डिजिटल सुनवाई के संबंध में देश के लोगों / वकीलों/न्यायालयिक अधिकारियों की प्रतिक्रिया का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं ;

(ङ) क्या सरकार की देश में ऑनलाइन विवाद समाधान क्षमताओं को विकसित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई को सुदृढ़ करने के लिए डिजिटल अवसंरचना के विकास हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी । वर्चुअल सुनवाई के संचालन में एकरूपता और मानकीकरण लाने

के लिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 अप्रैल, 2020 को एक सर्वसमावेशक आदेश (स्वत: रिट (सिविल) संख्या 5/2020) पारित किया गया, जिसने वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से न्यायालय की सुनवाईयों को विधिक मान्यता और वैधता प्रदान की । और, 5 न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियम विरचित किए गए, जो स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप करने के पश्चात् अंगीकृत करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को परिचालित किए गए । मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(i) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं न्यायिक कार्यवाहियों के सभी प्रक्रमों पर तथा न्यायालय द्वारा संचालित कार्यवाहियों के दौरान प्रयोग की जा सकेंगी ।

(ii) किसी न्यायालय में संचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाहियां होगीं तथा भौतिक न्यायालय को लागू सभी सौजन्य और प्रोटोकाल इन वर्चुअल कार्यवाहियों को लागू होंगे ।

(iii) न्यायिक कार्यवाहियों को लागू सभी सुसंगत कानूनी उपबंध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संचालित इन वर्चुअल कार्यवाहियों को लागू होंगे ।

(iv) किसी व्यक्ति या अस्तित्व द्वारा कार्यवाहियों की अप्राधिकृत रिकार्डिंग नहीं की जाएगी ।

(v) अपेक्षित व्यक्ति, भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा मान्यताप्राप्त पहचान का सबूत प्रदान करेगा ।

(vi) न्यायालय स्थल तथा दूरस्थ स्थल, दोनों स्थानों पर एक समन्वयक होगा, जिससे अपेक्षित व्यक्ति को परीक्षित किया जाना है या सुनवाई की जानी है ।

(vii) कार्यवाही का कोई पक्षकार या गवाह, सिवाय वहां के, जहां कार्यवाहियां न्यायालय के कहने पर आरंभ की जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अनुरोध कर सकेगा ।

(viii) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अनुरोध करने हेतु किसी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम कार्यवाही के पक्षकार अथवा पक्षकारों के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिए, सिवाय वहां के जहां यह असंभव हो या अनुपयुक्त हो, उदाहरण के लिए अत्यावश्यक आवेदन जैसे मामले ।

(ix) न्यायालय, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अनुरोध की प्राप्ति पर, तथा सभी संबंधित व्यक्तियों की सुनवाई के पश्चात्, और यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि आवेदन ऋजु विचारण को बाधित करने या कार्यवाहियों में विलंब करने के आशय से फाइल नहीं किया गया है, समुचित आदेश पारित करेगा ।

(x) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अनुरोध अनुज्ञात करते समय, न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समन्वयन के लिए कार्यक्रम भी नियत कर सकेगा ।

(xi) लागत, यदि भुगतान किए जाने का निदेश हो, विहित समय के भीतर जमा की जाएगी, जो उस तारीख से आरंभ होगा, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाहियों के समन्वय का आदेश प्राप्त होता है ।

(ग) : वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों द्वारा व्यवहार किए गए मामलों की संख्या **उपाबंध 1** पर संलग्न है ।

(घ) : नहीं । इस संबंध में कोई मूल्यांकन कार्य नहीं किया गया है । तथापि, न्यायालयों द्वारा मामलों की वर्चुअल सुनवाई ने, विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान, संपूर्ण विधिक तंत्र की सहायता की है, जिसके अंतर्गत मुकद्दमें के पक्षकार तथा अधिवक्ता भी हैं, क्योंकि यह उन्हें

अपनी पसंद के किसी स्थान से न्यायालय के समक्ष प्रकट होने में समर्थ बनाती है, अत: यह पर्याप्त समय, धन और भौतिक प्रयासों की बचत करती है ।

(ङ) : भारत में ऑन-लाइन विवाद समाधान (ओडीआर) की संकल्पना विकसित हो रही है । नीति आयोग ने भारत में ओडीआर को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्ययोजना विकसित करने, ओडीआर का एक प्रभावी कार्यान्वयन ढ़ांचा सृजित करने तथा ओडीआर के माध्यम से न्याय तक पहुंच का संवर्द्धन करने के लिए, न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, भारत के उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में जून, 2020 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था । 29.11.2021 को जारी समिति की रिपोर्ट, भारत में ओडीआर ढ़ांचा अंगीकृत करने के लिए तीन स्तरों पर उपायों की सिफारिश करती है :

(i) संरचनात्मक स्तर – डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना, डिजिटल अवसंरचना तक पहुंच को सुधारना तथा वृत्तिकों को प्रशिक्षण देना ।

(ii) व्यवहारात्मक स्तर – सरकारी विभागों तथा मंत्रालयों को अंतर्वलित करने वाले विवादों का समाधान करने के लिए ओडीआर को अंगीकृत करना ।

(iii) विनियामक स्तर – ओडीआर प्लेटफार्म और सेवाओं तक तत्पर पहुंच ।

रिपोर्ट, ओडीआर के लिए विद्यमान विधायी ढ़ांचे को मजबूत करने पर जोर देती है और एक चरणबद्ध कार्यान्वयन ढ़ांचा प्रस्तुत करती है । यह मध्यकता विधेयक, 2021, जो राज्य सभा में 20.12.2021 को पुर:स्थापित किया गया था, के अधीन ऑन-लाइन मध्यकता को समर्थ बनाने के लिए उपबंध करने हेतु प्रस्ताव किया गया है । ऑन-लाइन मध्यकता का संचालन भारतीय मध्यकता परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाना है । विधेयक को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा वह भारत सरकार के द्वारा विचाराधीन है ।

(च) : सरकार ने, 1670 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से, ई-न्यायालय परियोजना के चरण-2 में, 31.03.2022 तक परियोजना के कार्यान्वयन में लगे हुए विभिन्न संगठनों को 1668.43 करोड़ रुपए की राशि जारी की है । इसके अंतर्गत न्यायालयों और जेलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग अवसंरचना, जैसे वीडियो कांफ्रेंसिंग उपकरण, वीसी केबिन, वीसी लाईसेंस तथा डाक्यूमेंट विज्युलाइजर, आदि लगाने के लिए जारी किए गए 111.29 करोड़ रुपए की राशि सम्मिलित है ।

****

उपाबंध 1

न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई के लिए दिशानिर्देश संबंधी लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 440, जिसका उत्तर 03/02/023 को दिया जाना है, में निर्दिष्ट विवरण । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है :

उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वर्चुअल सुनवाई) के माध्यम से 30 नवंबर, 2022 तक व्यवहार किए गए मामलों की संख्या				
क्र. सं.	**उच्च न्यायालय**	**उच्च न्यायालय**	**जिला न्यायालय**	**योग**
1	इलाहाबाद	241335	3877965	4119300
2	आंध्र प्रदेश	380252	1412298	1792550
3	बंबई	37535	69857	107392
4	कलकत्ता	137868	80646	218514
5	छत्तीसगढ	103054	39950	143004
6	दिल्ली	317729	3297030	3614759
7	गुवाहाटी - अरुणाचल प्रदेश	2291	8128	10419
8	गुवाहाटी - असम	266154	322269	588423
9	गुवाहाटी - मिजोरम	3963	13268	17231
10	गुवाहाटी - नागालैंड	930	650	1580
11	गुजरात	388928	191558	580486
12	हिमाचल प्रदेश	183904	95523	279427
13	जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए सामान्य उच्च न्यायालय	257659	452673	710332
14	झारखंड	218227	637012	855239
15	कर्नाटक	1086570	119946	1206516
16	केरल	159316	531438	690754
17	मध्य प्रदेश	667410	763500	1430910
18	मद्रास	1424315	336752	1761067
19	मणिपुर	38695	15288	53983
20	मेघालय	2747	24282	27029
21	उड़ीसा	282560	242717	525277
22	पटना	266756	2054005	2320761
23	पंजाब और हरियाणा	581047	1829482	2410529
24	राजस्थान	229014	178520	407534
25	सिक्किम	477	9071	9548
26	तेलंगाना	299031	190327	489358
27	त्रिपुरा	10576	12070	22646
28	उत्तराखंड	73900	41295	115195
योग		**7662243**	**16847520**	**24509763**

****